

क्र.सं.	विभाग	योजना का नाम	योजनान्तर्गत देय लाभ
1.	मा. शि. बोर्ड.	<p>एकल/द्विपुत्री पुरस्कार योजना:-बोर्ड द्वारा जारी स्थाई राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाए जो अपने परिवार की एक मात्र संतान हो या परिवार में दो संताने हैं और दोनों ही पुत्रियां हैं या तीन पुत्रियां हैं जिनमें से एक पुत्री के बाद दो जुड़वा हैं। पुरस्कार के लिए पात्र होती हैं।</p>	<p><b>राज्य स्तर पर</b></p> <p>माध्यमिक परीक्षा- प्रथम 15 स्थान तक = 21,000</p> <p>प्रवेशिका परीक्षा- प्रथम 10 स्थान तक = 21,000</p> <p>उ. माध्यमिक परीक्षा- प्रथम 10 स्थान तक = 31,000</p> <p>वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा- प्रथम 05 स्थान तक = 31,000</p> <p><b>जिला स्तर पर</b></p> <p>माध्यमिक परीक्षा- प्रथम 05 स्थान तक = 5,000</p> <p>प्रवेशिका परीक्षा- प्रथम 05 स्थान तक = 5,000</p> <p>उ. माध्यमिक परीक्षा- प्रथम 05 स्थान तक = 5,000</p> <p>वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा- प्रथम 05 स्थान तक = 5,000</p>